

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर (म.प्र.)
आदेश

कमांक/क्यू/सी.जे.एम./23

जबलपुर, दिनांक- 28-8-2023

सार्वजनिक अवकाश के दिनों में 03:00 बजे से 05:00 बजे तक रिमाण्ड कार्य निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है। निम्न कॉलम में दर्शाये गए न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक पर अपने स्टाफ सहित दोपहर 03:00 बजे से 05:00 बजे तक स्वयं के न्यायालय में उपस्थित होकर सभी न्यायालय के रिमाण्ड कार्य जो उक्त दिनांक को प्रस्तुत किए जावेंगे, निष्पादित करें :-

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक
1	श्री आनंद बागरी	03.09.2023	5	श्री मनमोहन कौरव	17.09.2023
2	श्रीमती नेहा तोमर सिंह	07.09.2023	6	श्री कुंवर युवराज सिंह	18.09.2023
3	श्री फरहान मसूद कुरैशी	10.09.2023	7	श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम	24.09.2023
4	श्री किशन देव सिंह पटेल	16.09.2023	8	सुश्री सपना कनौडिया	28.09.2023

सिहोरा न्यायालय	क	मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	
	1	सुश्री रेशमा खातून	3.09.2023	16.09.2023
2	सुश्री श्रुष्टि अग्निहोत्री	7.09.2023	17.09.2023	24.09.2023
3	सुश्री उर्वशी यादव	10.09.2023	18.09.2023	28.09.2023

पाटन न्यायालय	क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक		क	न्यायिक मजिस्ट्रेट	दिनांक	
	1	श्री दशरथ सिंह भिडे	3.09.23	17.09.23	3	सुश्री उजाला झा	10.09.23	24.09.23
2	श्रीमती रीतिका शर्मा	7.09.23	18.09.23	4	श्री रवि कुमार साहू	16.09.23	28.09.23	

1- यदि किसी कारणवश संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर नियत दिनांक को रिमाण्ड ड्रियूटी करने में असमर्थ रहते हैं और रिमाण्ड ड्रियूटी हेतु आपसी सहमति से परिवर्तित करते हैं, तो दोनों न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित सूचना समय पूर्व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रेषित करेंगे।

2- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित उपरोक्त तिथि में सार्वजनिक अवकाश निरस्त कर उसके स्थान पर अन्य अवकाश तिथि निर्धारित की जाती है तो जिस तिथि को न्यायिक मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्रियूटी थी वह न्यायिक मजिस्ट्रेट घोषित नवीन अवकाश तिथि पर रिमाण्ड ड्रियूटी करेंगे।

3- यदि किसी कारणवश सूची में दर्शित तिथि के अलावा अन्य सार्वजनिक अवकाश घोषित हो जाता है तो उस दिनांक को जिला न्यायालय जबलपुर में **सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेगी, यदि किन्हीं कारणवश सुश्री सैफी ताजिर तमन्ना, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर भी अवकाश पर रहती है, तो **श्रीमती श्रद्धा पाण्डेय**, न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेंगी एवं तहसील पाटन न्यायालय में **सुश्री उजाला झा** न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं तहसील सिहोरा न्यायालय में **सुश्री श्रुष्टि अग्निहोत्री**, न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड कार्य निष्पादित करेगी।

4- रिमाण्ड न्यायालय अपने न्यायालय की रिमाण्ड ड्रियूटी जिस दिनांक को, की जानी है, उसकी सूचना अपने न्यायालय के रिमाण्ड पेनल सूची के अधिवक्ताओं को प्रदान करें।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर

प्रतिलिपि-

- माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- श्री न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर/सिहोरा/पाटन।
- अध्यक्ष/सचिव जिला अधिवक्ता संघ जबलपुर एवं जिला अभियोजन अधिकारी जबलपुर।
- जिला नाजिर जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
- जूनियर सिस्टम एंनलिसिस जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

(आलोक प्रताप सिंह)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर
(आलोक प्रताप सिंह,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जबलपुर (म.प्र.)